न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बसिया (गुमला)।

दाखिल खारिज अपील वाद सं0 08/2017–18 प्रथम पक्ष–सिधेश्वरी साहु .... अपीलार्थी

अनुसूची– 14 फर्म सं0 563 बनाम

द्वितीय पक्ष–विरेन्द्र नायक बगैरह.....उत्तरवादी

आदेश की क0सं0 एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
30/3/21	प्रस्तुत वाद श्री सिधेश्वरी साहु,पिता स्व0 रामकेवल साहु ग्राम बघिमा थाना–पालकोट, जिला गुमला द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 40 R 27/2016–17 में अंचल अधिकारी, पालकोट के न्यायालय में दिनांक 18/03/2017 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया गया। **वादगत्भूमि का विवरण :–**	

मौजा/थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा
बघिमा	183	4423	0.35एकड़
	183	4421	0.69 एकड़
	183	4422	0.65 एकड़
		कुल रकबा1.69 एकड़	

अपीलार्थी एवं उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दाखिल अपील वाद को सुनवाई हेतु इस अपीलवाद को ग्रहण किया गया। अपील आवेदन पर कार्रवाई प्रारम्भ कर अपीलकर्त्ता को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तथा निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख का मांग किया गया। अभिलेख प्राप्त है।

अपीलार्थी के आवेदित भूमि के दस्तावेजो का अवलोकन किया।अंचल अधिकारी, पालकोट के पारित आदेश में आवेदित भूमि का दाखिल खारिज अस्वीकृति का कारण खतियानी रैयत बोधन घांसी वो जोधन घांसी पिता गुना घांसी वो सोमारी पति भुखला घांसी के नामे से दर्ज है। विकेतागण पंजी ii रैयत के पुत्र है, आवेदित भूमि CNT Act के अंतर्गत आता है। दाखिल खारिज वाद को अंचल अधिकारी पालकोट द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है।

वाद की सुनवाई के दौरान अंचल अधिकारी, पालकोट से प्राप्त निम्न न्यायालय का संबंधित दाखिल खारिज अभिलेख का सत्यापित प्रति का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी के अधिवक्ता का लिखित बहसः—

अपीलार्थी नोटिस प्राप्त कर अपने प्रधिकृत विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए एवं कहना है कि मौजा बघिमा के खाता सं0 183 प्लॉट सं0 4423 रकबा 0.35 एकड़ एवं खाता सं0 184 प्लॉट सं0 4422 रकबा 0.65 एकड़ भूमि एवं प्लॉट सं0 4421 रकबा 0.69 एकड़ भूमि से संबंधित है जिसका आर0 एस0 पर्चा खतियानी रैयत बोधन घांसी वो जोधन घांसी पिता गुना घांसी वो सोमारी पति भूखन घांसी के नाम से दर्ज है। उपरोक्त वर्णित भूमि को दिनांक 13/05/1970 में पट्टा सं0 2094/70 के द्वारा खाता के वारिसदार 1. छबील नायक 2. तेतरू नायक पिता बोधन नायक 3. बोधन नायक 4. बुचु नायक पिता कपील नायक एवं दिनांक को 10/02/1973 में पट्टा स0 460/73 के द्वारा होडा घांसी पिता जोधन घांसी साकिन मौजा बघिमा थाना पालकोट जिला गुमला से 1. राम केवट 2. लोहरमैन साव पिता रीतभजन साहु ग्राम बघिमा थाना पालकोट जिला गुमला ने रजिस्ट्री खरीद बैला कलामी के द्वारा किया गया है जिस पर खरीददार जोत एवं दखल में है। अंचल कार्यालय पालकोट के द्वारा अपिलार्थी को दाखिल खारीज आवेदन पर हल्का कर्मचारी तथा अंचल निरीक्षक से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गयी। जिसके आलोक में हल्का द्वारा जॉच के पश्चात पाया कि अपिलार्थी दखल में है तथा उसपर कोई आपति प्राप्त नही होती है तो दाखिल खारीज स्वीकृत किया जा सकता है। परन्तु अंचल निरीक्षक द्वारा सी0एन0टी0 एक्ट की धारा 46 (1) बी का हवाला देते हुए आपत्ति लिखा गया है और अंचल निरीक्षक के मंतव्य अनुसार ही बिना गुण दोष पर विचार किये हुए 10/03/2017 को अपिलार्थी के दाखिल खारीज आवेदन को अस्वीकृत किया गया है जो कि वैधानिक रूप से गलत है। जिसका दाखिल खारीज वाद सं0 40 आर 27/ 2016–17 है। दाखिल खारिज आवेदन पर किसी तरह का कोई आपत्ति किसी व्यक्ति या खतियानी रैयत के वारिसगण के द्वारा नहीं किया गया है। निम्न अदालत द्वारा पारित आदेश में सी0एन0टी. एक्ट के अन्तर्गत आने का हवाला देते हुए अपिलार्थी के दाखिल खारीज आवेदन को खारिज किया गया है उसका कोई हवाला नहीं दिया गया है जो त्रुटि पूर्ण है। इस लिए अंचलाधिकारी का आदेश को निरस्त कर अपिलार्थी का आवेदन को स्वीकृत किया जाय। अपीलार्थी द्वारा सरकार को उचित भूमि मुल्य का स्टाम्प डियूटी तथा फिस अदा कर रजिस्ट्री पट्टा से खरीद किया है । इसमें सी0एन0टी0 एक्ट के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया है। भारत सरकार द्वारा जारी अनुसूचित जाति की सूची में घांसी जाति को दर्शाया गया है परन्तु सी0एन0टी एक्ट के प्रावधानो में क्रय विक्रय हेतु घांसी जाति को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये जजमेंट में अनुमति लेने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी है। इस लिए अपिलार्थी द्वारा खरीदा गया क्रय पट्टा कानुनी रूप से वैध है। सी0एन0टी0 एक्ट की धारा 46 (1) बी में दिये प्रावधान के सी0एन0टी0 Amendt एक्ट 1975 को Omitted किया गया है।

अपीलार्थी की ओर से दाखिल कागजात।

1. रजिस्ट्री पट्टा की छाया प्रति।

उक्त वादगत दाखिल खारिज अपील वाद के संबंध में सरकारी अधिवक्ता (आदित्यनाथ तिवारी) से मंतव्य की मांग की गई थी जो प्राप्त है.– जिसमें अधिवक्ता द्वारा मंतव्य दिया गया है कि वादगत भूमि का आर0 एस0 खाता सं0 183 प्लॉट सं0 4423 रकबा 0.35 एकड़ एवं खाता सं0 184 प्लॉट सं0 4421 रकबा 0.69 एकड़ एवं प्लॉट सं0 4422 रकबा 0.65 एकड़ भूमि वाके मौजा बघिमा थाना पालकोट जिला गुमला है।

वादग्रस्त भूमि रामकेवल साहु एवं लोहरमईन साहु दोनो पिता स्व0 रीतभंजन साहु द्वारा निबंधित विक्री पट्टा सं0 2094/70 दिनांक 23/05/1970 को छबल नायक, तेतरू नायक दोनो पिता बोधन नायक, रखन नायक एवं बंधु नायक दोनो पिता कपील नायक सभी ग्राम बघिमा सदटोली थाना पालकोट जिला गुमला से क्रय कर दखलकार है एवं बघिमा सदटोली थाना पालकोट से क्रय कर दखलकार है एवं खाता सं0 184 प्लॉट सं0 4421 रकबा 0.69 एकड़ रामकेवल साहु एवं लोहरमईन साहु द्वारा ब्रिकी पट्टा 460/73 दिनांक 10/02/1973 को हउदा घांसी पिता जोधन घांसी से क्रय किया है। अपीलार्थी द्वारा वादगत जमीन के दाखिल खारिज हेतु आवेदन अंचल अधिकारी पालकोट के कार्यालय में दिया गया था जिसका दा0खा0 वाद सं0 40 आर 27/2016–17 था जिससे सुनवाई के पश्चात् वादग्त भूमि C.N.T Act के अन्तर्गत आता है के कारण दिनांक 18/03/2017 को खारिज कर दिया गया। अंचल के जॉच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि वादग्त जमीन का खतियानी रैयत बोधन वो जोधन घांसी पिता गुना घांसी वो सोमारी पति भूखन घांसी के नाम से दर्ज है। विक्रेतागण पंजी ii रैयत के पुत्र है। वादगत जमीन पर अपीलार्थी शांतिपूर्वक दखलाकर है। किसी के द्वारा कोई आपत्ति पत्र दायर नहीं किया गया है। वादग्रस्त भूमि C.N.T. Act के अन्तर्गत आता है। छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(5) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति की भूमि का हस्तांतरण के पूर्व उपायुक्त के अनुमति से ही भूमि का हस्तांतरण करना था परन्तु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड सरकार से राज्यादेश निर्गत नहीं होने के कारण अनुसूचित जाति की भूमि का हस्तांतरण गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं अन्य के बीच भेद किये बगैर हो रहा था। परंतु W.P. (PIL) No. 758 of 2011 Shalkhan Murmoo Versus the State of Jharkhand and others का आदेश आने के पश्चात् झारखण्ड सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा दिनांक 01/03/2012 को राज्यादेश निर्गत होने के पश्चात् उपायुक्त के अनुमति के बिना अनुसूचित जाति की भूमि का हस्तांतरण पर रोक लगा दिया गया। यह कि उपरोक्त कागजातों को देखने से स्पष्ट होता है कि खतियानी रैयत के वंशज जो अनुसूचित जाति के सदस्य है वादगत भूमि को 1971 एवं 1973 में अपीलार्थी सं0 1 सिद्वेश्वरी साहु के पिता स्व0 रामकेवल साहु एवं अपीलार्थी सं0 02 लोहरमईन साहु के पक्ष में विक्री पट्टा लिखा है । इस तरह लगभग 50 वर्षो से वादगत भूमि पर अपीलार्थी शांतिपूर्वक दखलकार है। इस तरह वादगत भूमि पर अपीलार्थी का Adverse possession भी है। कोई आपत्ति दायर नहीं किया गया है। उक्त कागजातो एवं अंचल के जॉच प्रतिवेदन को देखने के पश्चात् मेरा मंतव्य है कि वादगत भूमि का दाखिल खारिज स्वीकृति किया जा सकता है एवं भविष्य में सक्षम न्यायालय द्वारा यदि काई प्रतिकुल आदेश होता है तो वह प्रभावी होगा।

उपर्युक्त तथ्यों के अवलोकन के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अंचल अधिकारी, पालकोट द्वारा दाखिल खारीज वाद सं0 40R27/2016–17 दिनांक 18/03/2017 को इस आधार पर अस्वीकृत किया गया कि वाद्गत भूमि खतियानी रैयत बोधन घांसी वो जोधन घांसी पिता गुना घांसी वो सोमारी पति भुखला घांसी के नाम से दर्ज है एवं विक्रेतागण पंजी ii रैयत के पुत्र है तथा आवेदित भूमि CNT Act के अंतर्गत आता है। उक्त वाद्गत भूमि को अपीलार्थी पंजी ii रैयत बोधन घांसी वो जोधन घांसी पिता गुना घांसी के वंशजो से निबंधन केवाला से उक्त वाद्गत भूमि को खरीद कर दखल में है। छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(5) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति की भूमि का हस्तांतरण के पूर्व उपायुक्त के अनुमति से ही भूमि का हस्तांतरण करना था परंतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड सरकार से राज्यादेश निर्गत नहीं होने के कारण अनुसूचित जाति की भूमि का हस्तारंण गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति एवं अन्य के बीच भेद किये बगैरह हो रहा था। परंतु W.P. (PIL) No. 758 of 2011 Shalkhan Murmoo Versus the State of Jharkhand and ohers का आदेश आने के पश्चात् झारखण्ड सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा दिनांक 01/03/2012 को राज्यादेश निर्गत होने के पश्चात उपायुक्त के अनुमति के बिना अनुसूचित जाति की भूमि का हस्तांतरण पर रोक लगा दिया गया । उक्त वाद्गत भूमि के खतियानी रैयत के वंशज जो अनुसूचित जाति के सदस्य है वाद्गत भूमि को वर्ष 1971 एवं 1973 में अपीलार्थी 01 सिद्धेश्वरी साहु के पिता स्व0 रामकेवल साहु एवं अपीलाथी। सं0 2 लोहरमईन साहु के पक्ष में विक्री पट्टा लिखा है अपीलार्थी लगभगत 50 वर्षो से वाद्गत भूमि पर शांतिपूर्वक दखलकार है कोई आपत्ति दायर नहीं किया गया है। उक्त वाद्गत भूमि में नोटिस तामिला प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद किसी ने न्यायालय में कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराया है। राजस्व उप निरीक्षक एवंअंचल निरीक्षकद्वारा अपने स्थल जॉच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि अपीलार्थी का वाद्गत भूमि में शांति पूर्ण दखल कब्जा है, विक्रेता व अन्य हिस्सेदारो का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं है।

अतः अंचल अधिकारी, पालकोट के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 40 R27/2016–17 दिनांक 18/03/2017 में पारित आदेश को खारिज करते हुए अपीलार्थी के अपील को स्वीकृत किया जाता है प्रश्नगतत मामले में पंजी ii में नाम दर्ज करने एवं ऑनलाईन रसीद निर्गत करने हेतु इस आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, पालकोट को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बसिया, (गुमला)

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बसिया।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बसिया।

Digitally signed by SHEKHAR KUMAR
Date: 2024.07.19 15:03:23 +05:30
Location: 192.168.1.10